

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

बिजलीघरों में सल्फर डाई ऑक्साइड नियंत्रक प्रौद्योगिक का संस्थापन

***83. श्री रेवती रमन सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजलीघरों से निकलने वाले काले धुएं में सल्फर डाई ऑक्साइड को रोकने हेतु एक प्रौद्योगिकी लगाने के लिए सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा के पश्चात् भी कई बिजली कंपनियों ने अभी तक यह प्रौद्योगिकी नहीं लगाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के कोयला बिजलीघरों को सल्फर नियंत्रक प्रौद्योगिकी लगाने में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी बिजलीघरों में सल्फर नियंत्रक प्रौद्योगिकी शीघ्र लगाने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"बिजलीघरों में सल्फर डाई ऑक्साइड नियंत्रक प्रौद्योगिक का संस्थापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिसूचित, सल्फर डाईऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जनों सहित, उत्सर्जन नियंत्रण मानदंडों का और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्र बाध्य हैं।

दिनांक 31.03.2021 को एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें एमओईएफएंडसीसी, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और सीपीसीबी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तथा एफजीडी के संस्थापन अथवा नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

| श्रेणी और विवरण | अनुपालन के लिए समय-सीमा | समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण मुआवजा (रुपये प्रति इकाई उत्पादित विद्युत) | | |
|---|-------------------------|--|-------------|---------------------|
| | | 0-180 दिन | 181-365 दिन | 366 दिन और उसके बाद |
| श्रेणी क - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर | 31.12.2022 तक | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| श्रेणी ख - गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में या सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित गैर-उपलब्धता वाले शहर | 31.12.2023 तक | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों के अलावा | 31.12.2024 तक | 0.05 | 0.075 | 0.10 |

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, श्रेणी क के संयंत्रों के लिए अनुपालन की अद्यतन समय-सीमा 31.12.2022 को शुरू होगी और इसलिए, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अनुपालन के लिए अभी भी समय है। निर्धारित समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन के लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित पर्यावरण मुआवजे के परिणामस्वरूप सल्फर रेगुलेटर प्रौद्योगिकी संस्थापित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा शीघ्र योजना बनाई जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-933

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

933. श्री राम विचार नेताम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तत्संबंधी विकास खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत लाइन विस्तार का कार्य पूरा होने के बाद भी आज तक किन-किन गांवों में विद्युत आपूर्ति आरंभ नहीं हुई है; और

(ग) आज तक बिजली कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले सहित सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं और वहां ऐसे कोई गांव नहीं हैं जहां विद्युत आपूर्ति अभी शुरू नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विद्युतीकरण की ब्लॉक-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक 01.04.2021 से 15.07.2021 के दौरान, विद्युत कनेक्शन के लिए 497 आवेदन-पत्र (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 251 लंबित आवेदन-पत्रों सहित) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 229 आवेदकों को कनेक्शन दे दिए गए हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विद्युतीकरण की ब्लॉक-वार स्थिति नीचे दी गई है:

| जिला | ब्लॉक | गांवों की कुल संख्या | विद्युतीकृत गांवों की संख्या | | गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या |
|-------------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | ग्रिड कनेक्शन | ऑफ-ग्रिड कनेक्शन | |
| बलरामपुर- रामानुजगंज | बलरामपुर | 122 | 118 | 4 | 0 |
| | राजपुर | 86 | 85 | 1 | 0 |
| | रामानुजगंज | 113 | 113 | 0 | 0 |
| | सामरी | 105 | 99 | 6 | 0 |
| | शंकरगढ़ | 89 | 86 | 3 | 0 |
| | वाड्डफनगर | 119 | 119 | 0 | 0 |
| कुल | | 634 | 620 | 14 | 0 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-934

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश के लिए विकास योजनाएं

934. श्री सैयद जफर इस्लाम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित और प्रायोजित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्ष 2014 से विद्युत मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई मुख्य स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) **एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस):** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए 3 दिसंबर, 2014 को "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) अधिसूचित की। इसके अतिरिक्त, आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम) स्कीम को आगे बढ़ाया गया था और आईपीडीएस में समाहित किया गया।
- (ii) **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):** भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की।
- (iii) **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य):** भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करके समग्र घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" शुरू की थी। पिछली किशतों में जारी धनराशि के सूचित उपयोग तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किशतों में निधियां जारी की जाती हैं।

स्वीकृत स्कीमों का कुल मूल्य (राज्य हिस्सा, केंद्रीय हिस्सा तथा ऋण), उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूर्ण परियोजनाओं की संख्या तथा उनका मूल्य, तथा जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का वर्णन निम्नानुसार है:

अनुबंध-I पर आईपीडीएस तथा समाहित आर-एपीडीआरपी

अनुबंध-II पर डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य

(ख) : आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, डिस्कॉमों द्वारा स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सिफारिश राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसडीआरसी) द्वारा की जाती है और निगरानी समिति द्वारा इनका अनुमोदन किया जाता है।

आईपीडीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तथा उनके अनुमोदन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | आईपीडीएस वेब-पोर्टल पर उत्तर प्रदेश डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रस्तावित लागत | आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत* |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| 1. | उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण | 6019.81 | 5379.28 |
| 2. | आईटी फेज-II | 61.49 | 61.49 |
| 3. | ईआरपी | 118.56 | 118.56 |
| 4. | आरटी-डीएस | 55.13 | 54.92 |
| 5. | जीआईएस | 26.00 | 26.00 |
| | कुल | 6280.99 | 5640.25 |

*28.20 करोड़ रुपये की परियोजना लागत राशि का 0.5% परियोजना प्रबंधन एजेंसी प्रभार आईपीडीएस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तावित गांवों एवं घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था। नोडल एजेंसी आरईसी द्वारा तकनो-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं. | योजना | यूपी डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत डीपीआर में प्रस्तावित लागत | संस्वीकृत परियोजना लागत |
|----------|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | डीडीयूजीजेवाई-नई | 18868.72 | 6,946.51 |
| 2. | डीडीयूजीजेवाई-अतिरिक्त इंफ्रा | 14016.00 | 6,289.57 |
| 3. | सौभाग्य | | 6,188.24 |
| | कुल | 32884.72 | 19424.32 |

सौभाग्य स्कीम दिनांक 31.03.2019 को बंद हो गई। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य ने सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की सूचना दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त स्वीकृतियों के लिए स्कीमों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा के बाद विभिन्न अनुरोधों को प्रस्तुत किया, तथा इसीलिए उन पर विचार नहीं किया जा सका।

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 934 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सभी राशि करोड़ रुप में

| आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी में समाहित) | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | परियोजनाओं की संख्या | संस्वीकृत लागत | | | संवितरण | | परियोजना के पूरे होने का विवरण | | |
| | | | स्कीम का कुल मूल्य (संस्वीकृत लागत) | केंद्रीय हिस्सा | राज्य द्वारा ऋण घटक | राज्य हिस्सा | संवितरित केंद्रीय हिस्सा | परियोजनाएं पूरी की गई | पूर्ण की गई परियोजनाओं का मूल्य | पूर्ण परियोजनाओं के विरुद्ध केंद्रीय अंश जारी किया गया |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 71 | 1386 | 829 | 469 | 87 | 763 | 67 | 1255 | 725 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 196 | 172 | 16 | 8 | 103 | 3 | 115 | 57 |
| 4 | असम | 91 | 1433 | 1271 | 125 | 37 | 1149 | 88 | 1382 | 1144 |
| 5 | बिहार | 86 | 4139 | 2267 | 1561 | 311 | 1748 | 76 | 3365 | 1542 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 39 | 1435 | 677 | 697 | 62 | 587 | 36 | 1333 | 566 |
| 7 | दिल्ली | 1 | 198 | 119 | 59 | 20 | 90 | 1 | 198 | 90 |
| 8 | गोवा | 5 | 164 | 131 | 25 | 8 | 105 | 3 | 113 | 96 |
| 9 | गुजरात | 94 | 2284 | 1217 | 955 | 112 | 1110 | 94 | 2284 | 1110 |
| 10 | हरियाणा | 25 | 667 | 489 | 134 | 45 | 408 | 21 | 631 | 405 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 32 | 567 | 510 | 48 | 9 | 466 | 28 | 500 | 438 |
| 12 | जम्मू एवं कश्मीर + लद्दाख | 51 | 2342 | 2105 | 214 | 24 | 1047 | 9 | 276 | 195 |
| 13 | झारखंड | 47 | 1940 | 797 | 1066 | 76 | 703 | 45 | 1814 | 653 |
| 14 | कर्नाटक | 123 | 2401 | 1388 | 875 | 137 | 1308 | 115 | 2224 | 1265 |
| 15 | केरल | 74 | 1966 | 924 | 975 | 67 | 842 | 71 | 1895 | 827 |
| 16 | महाराष्ट्र | 138 | 5118 | 2416 | 2448 | 254 | 2217 | 133 | 5087 | 2201 |
| 17 | मणिपुर | 173 | 562 | 503 | 53 | 7 | 464 | 172 | 444 | 382 |
| 18 | मेघालय | 18 | 302 | 270 | 27 | 5 | 172 | 15 | 275 | 165 |
| 19 | मिजोरम | 19 | 367 | 327 | 35 | 6 | 257 | 17 | 346 | 252 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 14 | 3762 | 1778 | 1811 | 172 | 1630 | 11 | 3611 | 1600 |
| 21 | नागालैंड | 5 | 162 | 142 | 14 | 7 | 117 | 3 | 144 | 113 |
| 22 | ओडिशा | 41 | 1577 | 920 | 542 | 115 | 753 | 30 | 1187 | 556 |
| 23 | पुदुचेरी | 3 | 116 | 43 | 70 | 2 | 34 | 2 | 94 | 26 |
| 24 | पंजाब | 71 | 2190 | 918 | 1227 | 45 | 854 | 68 | 2065 | 795 |
| 25 | राजस्थान | 134 | 3530 | 1790 | 1583 | 158 | 1322 | 126 | 3352 | 1297 |
| 26 | सिक्किम | 10 | 241 | 210 | 23 | 8 | 114 | 3 | 80 | 73 |
| 27 | तमिलनाडु | 128 | 4639 | 1905 | 2550 | 184 | 2067 | 127 | 4546 | 2051 |
| 28 | तेलंगाना | 61 | 2096 | 958 | 1062 | 75 | 913 | 59 | 2088 | 912 |
| 29 | त्रिपुरा | 27 | 399 | 350 | 38 | 11 | 287 | 23 | 299 | 230 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 255 | 11821 | 5532 | 5725 | 564 | 4664 | 237 | 11108 | 4499 |
| 31 | उत्तराखंड | 48 | 1243 | 1096 | 111 | 36 | 918 | 46 | 1128 | 878 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 82 | 3773 | 2166 | 1303 | 304 | 1897 | 76 | 3112 | 1592 |
| कुल | | 1972 | 63035 | 34232 | 25845 | 2958 | 29120 | 1805 | 56351 | 26736 |

टिप्पणी -

आईपीडीएस - केंद्रीय हिस्सा भारत सरकार का अनुदान है, आर-एपीडीआरपी - केंद्रीय हिस्सा भारत सरकार का ऋण है (अनुदान में परिवर्तनीय) हो सकता है कि पूरी हो चुकी परियोजना के लिए पूर्ण संवितरण नहीं किया गया हो क्योंकि डिस्कॉम द्वारा परियोजना को अभी तक बंद नहीं किया गया है। परियोजना की प्रगति और पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग के अनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार संवितरण किया जाता है

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 934 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य - जारी और संस्वीकृति की स्थिति (30.06.2021 तक)

करोड़ रुपए में

| क्रम सं. | राज्य | आरई में समाहित^ | | | | नई डीडीयूजीजेवाई | | | | डीडीयूजीजेवाई - घरों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त इंफ्रा | | | | सौभाग्य | | | | बंद परियोजनाओं की लागत | |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| | | संस्वीकृत परियोजना लागत | अनुदान शामिल | राज्य का हिस्सा और ऋण घटक | जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण) | संस्वीकृत परियोजना लागत | अनुदान शामिल | राज्य का हिस्सा और ऋण घटक | जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण) | संस्वीकृत परियोजना लागत | अनुदान शामिल | राज्य का हिस्सा और ऋण घटक | जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण) | संस्वीकृत परियोजना लागत | अनुदान शामिल | राज्य का हिस्सा और ऋण घटक | जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण) | बंद परियोजना की संख्या | परियोजनाओं की लागत |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 78 | 70 | 8 | 59 | 941 | 565 | 376 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 563 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 170 | 153 | 17 | 84 | 427 | 363 | 64 | 228 | 292 | 248 | 44 | 130 | 323 | 275 | 48 | 153 | 22 | 1,195 |
| 3 | असम | 1768 | 1591 | 177 | 1640 | 1,535 | 1,305 | 230 | 1,024 | 1,494 | 1,270 | 224 | 1,082 | 973 | 827 | 146 | 684 | 27 | 3,333 |
| 4 | बिहार | 6402 | 5761 | 640 | 4266 | 7,301 | 4,381 | 2,920 | 3,753 | - | - | - | - | 926 | 555 | 370 | 468 | 60 | 7,682 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 730 | 657 | 73 | 443 | 1,540 | 924 | 616 | 770 | 84 | 50 | 33 | 39 | 648 | 389 | 259 | 336 | 21 | 1,409 |
| 6 | गुजरात | 15 | 14 | 2 | 13 | 925 | 555 | 370 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 1,010 |
| 7 | हरियाणा ^s | 0 | 0 | 0 | | 316 | 190 | 126 | 160 | 30 | 18 | 12 | - | 18 | 11 | 7 | 3 | 18 | 218 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश ^s | 35 | 31 | 3 | 19 | 159 | 135 | 24 | 105 | 9 | 7 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 343 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 109 | 98 | 11 | 27 | 1,046 | 889 | 157 | 213 | 875 | 744 | 131 | 435 | 133 | 113 | 20 | 53 | 11 | 421 |
| 10 | झारखंड | 1537 | 1384 | 154 | 1199 | 3,918 | 2,351 | 1,567 | 2,033 | 1,078 | 647 | 431 | 414 | 887 | 532 | 355 | 217 | 18 | 2,792 |
| 11 | कर्नाटक | 217 | 195 | 22 | 163 | 1,755 | 1,053 | 702 | 934 | 127 | 76 | 51 | 68 | 79 | 47 | 31 | 39 | 36 | 1,115 |
| 12 | केरल | 58 | 52 | 6 | 52 | 485 | 291 | 194 | 239 | - | - | - | - | 90 | 54 | 36 | 55 | 14 | 314 |
| 13 | लद्दाख | 82 | 74 | 8 | 15 | 116 | 98 | 17 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | मध्य प्रदेश | 2356 | 2120 | 236 | 1806 | 2,891 | 1,734 | 1,156 | 1,387 | 999 | 599 | 399 | 363 | 873 | 524 | 349 | 414 | 61 | 2,994 |
| 15 | महाराष्ट्र | 85 | 77 | 9 | 69 | 2,175 | 1,305 | 870 | 1,071 | 369 | 221 | 148 | 165 | 406 | 244 | 162 | 198 | 35 | 853 |
| 16 | मणिपुर | 283 | 255 | 28 | 176 | 142 | 121 | 21 | 58 | 60 | 51 | 9 | 44 | 121 | 103 | 18 | 86 | 6 | 189 |
| 17 | मेघालय | 39 | 36 | 4 | 23 | 303 | 258 | 45 | 189 | 381 | 324 | 57 | 254 | 276 | 234 | 41 | 187 | 7 | 467 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 18 | मिजोरम | 106 | 96 | 11 | 101 | 52 | 45 | 8 | 29 | 32 | 27 | 5 | 15 | 46 | 39 | 7 | 41 | 16 | 394 |
| 19 | नागालैंड | 120 | 108 | 12 | 104 | 137 | 116 | 20 | 72 | 28 | 24 | 4 | 18 | 64 | 54 | 10 | 39 | 11 | 270 |
| 20 | ओडिशा | 3784 | 3405 | 378 | 2989 | 1,750 | 1,050 | 700 | 833 | 509 | 305 | 203 | 253 | 525 | 315 | 210 | 245 | 34 | 3,924 |
| 21 | पंजाब | | | | | 443 | 266 | 177 | 188 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 184 |
| 22 | राजस्थान | 1525 | 1372 | 152 | 1231 | 2,909 | 1,745 | 1,163 | 1,336 | 1,128 | 677 | 451 | 579 | 663 | 398 | 265 | 280 | 54 | 2,214 |
| 23 | सिक्किम | 21 | 19 | 2 | 16 | 50 | 42 | 7 | 37 | 37 | 32 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 218 |
| 24 | तमिलनाडु | 51 | 46 | 5 | 36 | 924 | 554 | 370 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 489 |
| 25 | तेलंगाना | 33 | 29 | 3 | 30 | 462 | 277 | 185 | 215 | - | - | - | - | 35 | 21 | 14 | 15 | 10 | 314 |
| 26 | त्रिपुरा | 317 | 285 | 32 | 253 | 74 | 63 | 11 | 40 | 359 | 305 | 54 | 197 | 418 | 355 | 63 | 260 | 9 | 411 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 10228 | 9205 | 1023 | 8775 | 6,946 | 4,168 | 2,779 | 3,321 | 6,290 | 3,774 | 2,516 | 2,469 | 6,188 | 3,713 | 2,475 | 1,465 | 141 | 14,433 |
| 28 | उत्तराखंड | 107 | 97 | 11 | 58 | 845 | 718 | 127 | 614 | - | - | - | - | 149 | 127 | 22 | 43 | 13 | 760 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 899 | 809 | 90 | 678 | 4,262 | 2,557 | 1,705 | 2,008 | - | - | - | - | 259 | 155 | 104 | 123 | 32 | 3,029 |
| 30 | गोवा | - | - | - | - | 20 | 12 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | पुदुचेरी | - | - | - | - | 20 | 12 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | अंडमान एवं निकोबार | - | - | - | - | 21 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल | | 31156 | 28040 | 3116 | 24326 | 44896 | 28159 | 16737 | 22366 | 14179 | 9399 | 4780 | 6549 | 14109 | 9093 | 5016 | 5408 | 778 | 51538 |

टिप्पणी i) \$ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य ने अतिरिक्त इन्फ्रा के तहत व्यय किया है, लेकिन चूंकि इसमें शामिल राशि महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए, इन राज्यों ने बंद होने के समय पूरी राशि का दावा करने का निर्णय लिया है।

ii) सौभाग्य के तहत उन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, डी एंड एन हवेली और अंडमान निकोबार के लिए परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गईं, जिन्होंने पहले ही शत-प्रतिशत धरेतू विद्युतीकरण हासिल कर लिया है।

iii) जिन राज्यों में सौभाग्य योजना के तहत धरों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं थी, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के तहत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-935

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा एफजीडी तकनीक के उपयोग के विलंब

935. श्री विकास महात्मे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस बात पर गंभीर रूप से संज्ञान लिया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक है;
- (ख) तापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) तकनीक का उपयोग करके नए उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार की योजना केवल 15 प्रतिशत से कम इकाईयों में इसे कार्यान्वित करने की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और लक्ष्यों को कम करने सहित इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास विभिन्न देशों में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना करने की कोई निर्णायक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता स्थिति एवं प्रवृत्ति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, पूरे भारत में आवासीय/औद्योगिक/ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) का अतिक्रमण नहीं हुआ।

एमओईएफएंडसीसी की अधिसूचना के अनुसार, सभी विद्युत संयंत्रों को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है और उन्हें तदनुसार योजना बनानी होगी।

दिनांक 31.03.2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए सीपीसीबी द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें एमओईएफएंडसीसी, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और सीपीसीबी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तथा एफजीडी के संस्थापन अथवा नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

| श्रेणी और विवरण | अनुपालन के लिए समय-सीमा |
|---|-------------------------|
| श्रेणी क - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर | 31.12.2022 तक |
| श्रेणी ख - गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में या सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित गैर-उपलब्धता वाले शहर | 31.12.2023 तक |
| श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों के अलावा | 31.12.2024 तक |

ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से पहले सेवामुक्त होने की घोषणा करते हैं, विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसे संयंत्र सेवामुक्ति के आधार पर छूट के लिए सीपीसीबी और सीईए को वचनबंध प्रस्तुत करते हैं: परंतु ऐसे संयंत्रों, यदि उनका संचालन वचनबंध में निर्दिष्ट तिथि के बाद भी जारी रहता है, पर 0.20 रुपये प्रति इकाई विद्युत उत्पादन की दर से पर्यावरण मुआवजा अधिरोपित किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-936

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में सल्फर नियंत्रक तकनीक की स्थापना करना

936. श्री रेवती रमन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में सल्फर नियंत्रक तकनीक लगी हुई है;
- (ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2022 तक देश के लगभग 75-80 प्रतिशत कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में सल्फर नियंत्रक तकनीक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है;
- (ग) क्या तापीय ऊर्जा संयंत्रों के किसी संगठन ने सरकार से ऊर्जा संयंत्रों में यह सुविधा लगाने के लिए समयावधि को वर्ष 2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिसूचित सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जनों सहित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

विद्युत मंत्रालय में विद्युत उत्पादक संघ, विभिन्न स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) और विभिन्न राज्य सरकारों से समय-सीमा को बढ़ाने की सिफारिश के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

दिनांक 31.03.2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसमें एमओईएफएंडसीसी, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और सीपीसीबी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तथा एफजीडी के संस्थापन अथवा नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

| | | |
|-----------------|-------------------------|---|
| श्रेणी और विवरण | अनुपालन के लिए समय-सीमा | समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण मुआवजा (रुपये प्रति इकाई उत्पादित |
|-----------------|-------------------------|---|

| | | विद्युत) | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 0-180 दिन | 0-180 दिन | 0-180 दिन |
| श्रेणी क - एनसीआर के 10 किमी के दायरे या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर | 31.12.2022 तक | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| श्रेणी ख - गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में या सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित गैर-उपलब्धता वाले शहर | 31.12.2023 तक | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों के अलावा | 31.12.2024 तक | 0.05 | 0.075 | 0.10 |

उपरोक्त समय-सीमा के अनुसार, श्रेणी क के विद्युत संयंत्रों को 31.12.2022 तक एफजीडी संस्थापना का अनुपालन करना है, अधिकांश संयंत्र ख और ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए समय-सीमा क्रमशः 31.12.2023 और 31.12.2024 तक है।

ताप विद्युत के लिए एफजीडी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सल्फर उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन में ताप विद्युत संयंत्रों के समक्ष आने वाली बाधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- I. कार्य प्रदान करने की तारीख से एफजीडी शुरू करने की न्यूनतम समयावधि 36-42 माह है।
- II. विक्रेताओं की सीमित उपलब्धता
- III. घटकों की सीमित आपूर्ति और मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन के कारण कीमतों में वृद्धि
- IV. आपूर्ति श्रृंखला और जन शक्ति की उपलब्धता पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-937

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

देश में संपूर्ण विद्युतीकरण

937. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश भर में विद्युतीकरण के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में तय की गई समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने प्रत्येक आवासित गांव को विद्युत से जोड़ने और वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। शेष सभी गांवों को 100 दिनों में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। यह कार्य 987 दिनों में ही पूरा हो गया था और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर के सभी आवासित गांवों को 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था।

भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की थी। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2021 तक सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत

विद्युतीकरण की सूचना दी है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से दिनांक 31.03.2021 तक 2.817 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए हैं। घरों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 1 अप्रैल, 2019 से 24x7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे 22.17 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.36 घंटे है। राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-II और III** में दिए गए हैं।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण संबंधित राज्य सरकारों और अपने संबंधित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसियों द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार-आधारित तथा परिणाम-संबद्ध स्कीम" का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12 से 15% तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। इससे देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को 24x7 विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 937 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

| क्र. सं. | राज्यों के नाम | दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या | दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या | 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर |
|----------|------------------|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,81,930 | | 1,81,930 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 47,089 | | 47,089 |
| 3. | असम | 17,45,149 | 2,00,000 | 19,45,149 |
| 4. | बिहार | 32,59,041 | | 32,59,041 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7,49,397 | 40,394 | 7,89,791 |
| 6. | गुजरात | 41,317 | | 41,317 |
| 7. | हरियाणा | 54,681 | | 54,681 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 12,891 | | 12,891 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 3,77,045 | | 3,77,045 |
| 10. | झारखंड | 15,30,708 | 2,00,000 | 17,30,708 |
| 11. | कर्नाटक | 3,56,974 | 26,824 | 3,83,798 |
| 12. | लद्दाख | 10,456 | | 10,456 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 19,84,264 | | 19,84,264 |
| 14. | महाराष्ट्र | 15,17,922 | | 15,17,922 |
| 15. | मणिपुर | 1,02,748 | 5,367 | 1,08,115 |
| 16. | मेघालय | 1,99,839 | | 1,99,839 |
| 17. | मिजोरम | 27,970 | | 27,970 |
| 18. | नागालैंड | 1,32,507 | | 1,32,507 |
| 19. | ओडिशा | 24,52,444 | | 24,52,444 |
| 20. | पुडुचेरी | 912 | | 912 |
| 21. | पंजाब | 3,477 | | 3,477 |
| 22. | राजस्थान | 18,62,736 | 2,12,786 | 20,75,522 |
| 23. | सिक्किम | 14,900 | | 14,900 |
| 24. | तमिलनाडु | 2,170 | | 2,170 |
| 25. | तेलंगाना | 5,15,084 | | 5,15,084 |
| 26. | त्रिपुरा | 1,39,090 | | 1,39,090 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 79,80,568 | 12,00,003 | 91,80,571 |
| 28. | उत्तराखण्ड | 2,48,751 | | 2,48,751 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 7,32,290 | | 7,32,290 |
| | कुल | 2,62,84,350 | 18,85,374 | 2,81,69,724 |

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 937 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मई माह के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार औसत अवधि

| क्रम सं. | भारत के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (घंटे:मिनट) |
|----------|---------------------------------|--|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 23.58 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश* | 20.00 |
| 3 | असम | 21.00 |
| 4 | बिहार | 22.14 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22.70 |
| 6 | गोवा | 24.00 |
| 7 | गुजरात | 24.00 |
| 8 | हरियाणा | 20.41 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 24.00 |
| 10 | झारखंड | 19.62 |
| 11 | कर्नाटक | 20.26 |
| 12 | केरल | 24.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23.50 |
| 14 | महाराष्ट्र | 24.00 |
| 15 | मणिपुर | 21.05 |
| 16 | मेघालय | 22.38 |
| 17 | मिजोरम | 17.06 |
| 18 | नागालैंड | 21.00 |
| 19 | ओडिशा | 22.82 |
| 20 | पंजाब | 24.00 |
| 21 | राजस्थान | 22.00 |
| 22 | सिक्किम* | 17.50 |
| 23 | तमिलनाडु | 24.00 |
| 24 | तेलंगाना | 24.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 23.50 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 17.43 |
| 27 | उत्तराखंड | 23.90 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 24.00 |
| 29 | अंडमान और निकोबार* | 22.40 |
| 30 | चंडीगढ़ | 24.00 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 24.00 |
| 32 | जम्मू एवं कश्मीर | 15.00 |
| 33 | लद्दाख | 23.00 |
| 34 | नई दिल्ली | 24.00 |
| 35 | पुदुचेरी | 24.00 |
| 36 | लक्षद्वीप | 24.00 |
| | राष्ट्रीय औसत | 22.17 |

टिप्पणी: मई माह के लिए आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे, इसलिए पहले से उपलब्ध आंकड़ों को शामिल किया गया है।

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 27.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 937 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल माह के लिए 11 केवी शहरी फीडरों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार औसत घण्टे

| क्रम सं. | राज्य का नाम | एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (घंटे:मिनट) |
|----------|----------------------|--|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 23:53 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 22:37 |
| 3 | असम | 23:39 |
| 4 | बिहार | 23:43 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 23:51 |
| 6 | गोवा | 23:38 |
| 7 | गुजरात | 23:57 |
| 8 | हरियाणा | 23:41 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 23:45 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 22:36 |
| 11 | कर्नाटक | 23:50 |
| 12 | केरल | 23:55 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23:55 |
| 14 | महाराष्ट्र | 23:56 |
| 15 | मणिपुर | 23:33 |
| 16 | मेघालय | 23:55 |
| 17 | मिजोरम | 23:51 |
| 18 | नागालैंड | 22:27 |
| 19 | ओडिशा | 23:32 |
| 20 | पंजाब | 23:34 |
| 21 | राजस्थान | 23:52 |
| 22 | तेलंगाना | 23:54 |
| 23 | त्रिपुरा | 23:54 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 23:45 |
| 25 | उत्तराखंड | 23:33 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 23:50 |
| | राष्ट्रीय औसत | 23:36 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-938

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

देश में तापीय ऊर्जा का उत्पादन

938. डॉ. एल. हनुमंतय्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में तापीय ऊर्जा उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संधारणीय विकास के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए गत कुछ वर्षों में तापीय ऊर्जा पर निर्भरता कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन में संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में ताप विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | उत्पादन (मिलियन यूनिट) |
|---------|------------------------|
| 2016-17 | 994230.17 |
| 2017-18 | 1037059.10 |
| 2018-19 | 1072223.88 |
| 2019-20 | 1042747.90 |
| 2020-21 | 1032513.54 |

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले वर्षों में देश में ताप विद्युत उत्पादन की प्रतिशतता में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

| श्रेणी | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| ताप | 994230.17 | 1037059.10 | 1072223.88 | 1042747.90 | 1032513.54 |
| न्युक्लियर | 37915.87 | 38346.12 | 37812.59 | 46472.45 | 43029.08 |
| हाइड्रो | 122377.56 | 126122.70 | 134893.61 | 155769.12 | 150299.52 |
| कुल (परंपरागत) | 1154523.60 | 1201527.92 | 1244930.08 | 1244989.47 | 1225842.14 |
| नवीकरणीय | 81548.21 | 1,01,839.48 | 126759.09 | 138337.02 | 147247.51 |
| कुल (परंपरागत+नवीकरणीय) | 1236071.81 | 1303367.40 | 1371689.17 | 1383326.49 | 1373089.65 |
| ताप विद्युत का प्रतिशत | 80.43 | 79.57 | 78.17 | 75.38 | 75.20 |

(घ) : भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें सौर से 1,00,000 मेगावाट, पवन से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जल विद्युत से 5,000 मेगावाट शामिल है। 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित, संस्थापनाधीन तथा सहबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता 96.95 गीगावाट है। इसमें वृहत् जल विद्युत संयंत्र, जो नवीकरण योग्य भी हैं, शामिल नहीं हैं। 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संस्थापित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 150.06 गीगावाट थी, जो कुल संस्थापित क्षमता का 39% है। इस प्रकार भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य, जो वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% क्षमता का था, को पाने तथा उससे आगे निकलने की राह पर भली-भांति अग्रसर है।

इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- 30 जून, 2025 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए, सौर तथा पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की छूट।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर विकसित किए गए हैं।
- वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व ट्रेजेक्टरी अधिसूचित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-939

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

स्मार्ट मीटर लगाया जाना

939. श्री के.सी. वेणुगोपालः
श्री संजय सेठः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय टैरिफ नीति में प्रति माह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के परिसरों में चरणबद्ध तरीके से बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान अधिदेशित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परिसरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों के अंतर्गत कितने स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्य कब शुरू और पूरा किया जाएगा; और

(ङ) क्या स्मार्ट मीटरों को समयबद्ध तरीके से लगाने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर ली गई है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हाँ। टैरिफ नीति, 2016 के पैरा 8.4.3 के अनुसार, "उपयुक्त आयोग, विशेषरूप से उपभोक्ताओं की उन श्रेणियों, जो बड़े पैमाने पर बिना मीटर के हैं, के लिए मीटर टैरिफ आधारित मीटरिंग और बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। मीटरिंग टैरिफ और प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटरों से दूरस्थ मीटरिंग और बिलिंग, व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम टैरिफ का कार्यान्वयन तथा मांग प्रतिक्रिया के माध्यम से मांगपक्ष प्रबंधन में लाभ होता है। यह भविष्य में, पवन और सौर विद्युत जैसे उत्पादन की मध्यवर्ती किस्मों की वृद्धि के कारण भार-उत्पादन संतुलन के लिए आवश्यक होगा।

इसलिए, उपयुक्त आयोग निम्नलिखित के लिए स्मार्ट मीटर अधिदेशित करता है:

- (i) यथाशीघ्र किंतु 31.12.2017 से पहले 500 यूनिट अथवा इससे अधिक की मासिक खपत वाले उपभोक्ता;
- (ii) 31.12.2019 तक 200 यूनिट से अधिक की मासिक खपत वाले उपभोक्ता।"

(ख) : स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्बाध ऑनलाइन बिलिंग प्रक्रिया एवं बिलों के डिजिटल भुगतान में सहायता करना; विद्युत उपयोग के रीयल टाइम ट्रेकिंग में पहुंच बनाना; उपभोक्ताओं को उनकी खपत पैटर्न का पता लगाने और अधिक ऊर्जा दक्ष व्यवहार एवं उपकरणों को अंगीकृत करने में सहायता करना; उन्हें उनकी आवश्यकता के आधार पर विद्युत के लिए पूर्व-भुगतान का विकल्प प्रदान करना तथा इस प्रकार उनके कुल ऊर्जा व्ययों को नियंत्रित करना; टाइम ऑफ डे मीटरिंग को समर्थ बनाना और इस प्रकार नवीकरणीय विद्युत के समेकन में अहम भूमिका निभाना; डिस्कॉमों को मानवीय संग्रहण का उपशमन करके सुदूर कार्यकरण में और एटीएंडसी हानियां कम करने में सहायता करना हैं।

(ग) से (ङ) : राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के अंतर्गत, 7.23 लाख स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार/परियोजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) चण्डीगढ़ (सब डिवीज़न 5 परियोजनाएं) - 29500 स्मार्ट मीटरों की संस्थापना प्रगति पर है और मार्च, 2022 तक पूरी किए जाने की समय सीमा नियत है।
- (ii) चण्डीगढ़ (संपूर्ण शहर परियोजना) - 184000 स्मार्ट मीटरों की संस्थापना पूरी किए जाने के लिए मार्च, 2022 तक की समय सीमा नियत है।
- (iii) झारखण्ड (रांची शहर परियोजना) - 360000 स्मार्ट मीटरों के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है और मार्च, 2024 तक पूरी किए जाने की समय सीमा नियत है।
- (iv) राजस्थान (6 शहरों की एकीकृत परियोजना) - 150000 स्मार्ट मीटरों की संस्थापना प्रगति पर है और मार्च, 2022 तक पूरी किए जाने की समय सीमा नियत है।
